न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर, कैम्प मालरार

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

. 77 / 2014 जीसीएमएस : 2014 / 00113

1. सीतो उर्फ जीतो पुत्री श्री दलवीर सिहं पत्नी श्री गुरदयाल सिहं जाति बावरी साकिन 6 के एस डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. नसीबकौर पुत्री श्री दलवीर सिहं पत्नी श्री नानकराम जाति बावरी निवासी 66 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर(राज.)

–:वादीगण

बनाम

1. दलवीर सिंह पुत्र श्री रामसिहं जाति बावरी निवासी 8 पीटीडीए – मृतक

1/1. नन्दकौर पत्नी स्व. श्री दलवीर सिहं जाति बावरी नि. 8 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर (राज.)

1/2 सीतो उर्फ जीतो पुत्री श्री दलवीर सिहं पत्नी श्री गुरदयाल सिहं वादिया सं. 1 है।

1/3 नसीबकौर पुत्री श्री दलवीर सिहं पत्नी श्री नानकराम वादिया सं. 2 है।

1/4. गुरमीतकौर पुत्री स्वं. श्री दलवीर सिहं जो पूर्व में प्रतिवादी सं. 2 मौजूद है।

2. गुरमीतकौर पुत्री श्री दलवीर सिहं पत्नी श्री इन्द्रसिंह जाति बावरी निवासी 6 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –:प्रतिवादी

तारीख रजू:– 06.07.2011

उपस्थित: 1. श्री सोहन वर्मा अधिवक्ता वादीगण

2 .श्री सुशील कुमार गौदारा अधिवक्ता प्रतिवादी

3. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–92 आरटीए,</u>

दिनांक : 22.10.2024

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता दलवीर सिहं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 8 पीटीडी ए की जमाबन्दी सं. 2067–2070 के खाता नं. 14/16 प.न. 245/354 मु.नं. 10 के 6.235है. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। जो प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता यानि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 हकीकी दादा रामसिहं से प्राप्त हुई । इस प्रकार उक्त वर्णित रकबा प्रतिवादी सं. 1 का स्वअर्जित न होकर अपने पिता से प्राप्त होने से जद्दी जायदाद (पैतृक सम्पति) की परिभाषा में आती है। चूँकि प्रतिवादी सं. 1 की वादीयागण व प्रतिवादी सं. 2 ही संतान है। इसलिये उन्हें जन्म से ही विवादित रकबा पैतृक सम्पति होने से हक व हिस्सा निहित व निश्चित है। उक्त भूमि में वादीयागण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 चारो का विवादित रकबा में बहिस्सा बराबर–बराबर हक हकूक वा अधिकार बनते है। वादीगण विवादित भूमि में पैतृक सम्पति होने से अपना 2/4 भाग अर्थात् 3.163 है. कमाण्ड खातेदारी रकबा पर अपने खातेदारी हक–हकूक वा अधिकारों को घोषित करवा पाने की विधिक अधिकारनी है। उक्त भूमि हिस्सा प्राप्त करने हेतु एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देवे तो दिनांक 7.06.2014 को बमुकान 8 पीटीडीए तहसील रायसिंहनगर में बैठक में टाल मटोल करते हुये इन्कार हो गये ओर धमकी दी कि विवादित भूमि उसके अकेले के नाम से दर्ज होने का बेजा नाजायज फायदा उठा अन्य व्यक्ति को रहन बैय कर अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर कब्जा सुपुर्द करेगा, यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखस्मत है। वादीगण के समक्ष वांछित अनुतोष व व्यादेश प्राप्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं है। प्रतिवादी सं. 3 भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने से उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

2. अतः वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे कि वाके चक 8 पीटीडी ए खाता नं. 14/16 में प.न. 245/354 मु.न. 10 के कि.न. 1 ता 25 के 6.325 है. कमाण्ड कृषि भूमि को पैतृक सम्पति [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/4, 1/4 यानि वादीगण का 2/[illegible] 3.163 है. कमाण्ड खातेदारी रकबा पर खातेदारी हक–हकूक वा अधि[illegible] डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण पारित की जावे। इसी [illegible] राजस्व अभिलेख [illegible]ल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 15:02:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ओर से श्री सुशील कुमार गोदारा अधिवक्ता हाजिर आये । वादीगण की ओर अधिवक्ता द्वारा –पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 एव धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दी स.1दलवीर सिह का देहान्त दिनांक 04.04.2017 को हो चुके है। उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर जावे। नकल दिलवाई गई। पार्थना–पत्र पर किसी को कोई एतराज न होने पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी वगैरा का स्वीकार किया गया। वकील वादीगण के द्वारा संशोधन शीर्षक वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया। न पक्षकारान के द्वारा दिनाक 21.10.2024 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक जाकर शामिल किया गया। वकील पक्षकारान ने निवेदन किया कि राजीनामा दिनांक 21.10.2024 के ार वादीगण का वाद–पत्र डिक्री फरमाया जावे कि विवादित रकबा चक 8 पीटीडी ए का प.न. /354 मु.न. 10 के कि.न. 1 ता 25 के 6.325 है खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे पक्षकारान के मृतक पिता दलवीर सिह के नाम से दर्ज में से द्वितीय पक्षकारा/ प्रतिवादीया नन्दकौर कोई विरासतन सा प्राप्त न कर अपना समस्त विरासतन हिस्सा अपनी तीनो पुत्रियों प्रतम पक्षकारान /वादीगण सीतो जीतो व नसीबकौर व द्वितीय पक्षकारा/प्रतिवादीया गुरमीतकौर के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क (त्यागने फलस्वरूप उपरोक्त समस्त भूमि 6.325है. कताण्ड खातेदारी मे उक्त तीनों प्रथम पक्षकारान/ वादीगण तो उर्फ जीतो व नसीबकौर व द्वितीय पक्षकारा /प्रतिवादीगण गुरमीतकौर बहिस्सा बराबर बराबर के तेदार होना तय पाया गया। पक्षकारान ने आपसी सहमति व रजामन्दी से अपने अपने भाग बंटवारा में म पक्षकारा /वादीया सीतो उर्फ जीतो को वाके चक 8 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर के प.न. 5/354 मु.न. 10 के कि.न.1 ता8 प्रत्येक .253 है. 9/में 0.085 है. पूर्वी पासा कुल 2.109 है. कमाण्ड व म पक्षकारा /वादीया नसीबकौर को कि.न. 9/0.168 है पश्चिमी पासा , 10 ता 16 प्रत्येक 0.253 है. की 0.169 है पूर्वी पासा कुल 2.108है. कमाण्ड व द्वितीय पक्षकारा/ प्रतिवादीया गुरमीतकौर को कि.न. /0.084है. पश्चिमी पासा , 18 ता 25 प्रत्येक 0.253 है. कुल 2.108 है. कमाण्ड भूमि प्राप्त होने से विधिक टवारा व खाता विभाजन किया गया है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश ये जावे।

उभयपक्षकारन के अधिवक्तागण की राजीनामा दिनांक 21.10.2024 पर बहस सुनी गई। किसी पक्षकारान के अधिवक्तागण को कोई एतराज नही है। राजीनामा दिनाक 21.10.2024 के अनुसार दीगण का वादन्–पत्र डिक्री किया जावे तो उन्हें कोई एतराज नहीं । त: वादी का वाद–पत्र उक्त तनकी वार वादी के पक्ष में प्रतीत होने के कारण वादी का वाद –पत्र कार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

–:क्रियात्मक आदेश:–

उक्त विवचेन के आधार पर वादीगण का वाद–पत्र बरूवे राजीनामा दिनांक 21.10.2024के अनुसार ादीगण का वाद–पत्र डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान ने आपसी सहमति व रजामन्दी से अपने अपने भाग बंटवारा में प्रथम पक्षकारा /वादीया सीतो उर्फ जीतो को वाके चक 8 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर के प.न. 245/354 मु.न. 10 के कि.न.1 ता8 प्रत्येक .253 है. 9/में 0.085 है. पूर्वी पासा कुल 2.109 है. कमाण्ड व प्रथम पक्षकारा /वादीया नसीबकौर को कि.न. 9/0.168 है. पश्चिमी पासा , 10 ता 16 प्रत्येक 0.253 है. 17 की 0.169 है. पूर्वी पासा कुल 2.108है. कमाण्ड व द्वितीय पक्षकारा/ प्रतिवादीया गुरमीतकौर को कि.न. 17/0.084है. पश्चिमी पासा , 18 ता 25 प्रत्येक 0.253 है. कुल 2.108 है. कमाण्ड भूमि प्राप्त हुई है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

निर्णय आज दिनाक 22.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 15:02:55 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner